यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

ठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
जस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 119/2018
CMS No. : 2018/00163

प्रार्थी :–

1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. दिनेश कुमार पुत्र पूनमचन्द माली
2. पुखाराम पुत्र चन्द्राराम माली
3. रूकमा पत्नी चेनाराम माली
4. गोलकी पत्नी बाबूलाल माली
5. नोरतमल पुत्र मांगीलाल माली
6. ओमप्रकाश पुत्र भेराराम लखारा फौत के का.मु.
   - 6.1 अशोक पुत्र ओमप्रकाश
   - 6.2 हरीश पुत्र ओमप्रकाश
   - 6.3 दीपिका पुत्री ओमप्रकाश
   - 6.4 कौशल्या पत्नी ओमप्रकाश लखारा
7. धर्माराम पुत्र ढगलाराम नट
8. परमादेवी पत्नी बगदाराम कुमावत
9. छोटूलाल पुत्र मिश्रीलाल माली
10. नौरती देवी पत्नी बुद्धाराम कुमावत
11. भीजाराम पुत्र अजीतराम कुमावत
12. ओगडराम पुत्र बालूराम गुर्जर
13. बगदूदेवी पत्नी नवीनकुमार कुमावत
14. मानकी पत्नी श्यामलाल गुर्जर
15. दरिया देवी पत्नी मेन्दूराम गुर्जर
16. भाकरराम पुत्र देवाराम माली
17. दुर्गाराम पुत्र मंगाराम माली
18. उगमादेवी पत्नी दिनेश कुमार माली
19. गीता देवी पत्नी भागूराम कुमावत
20. भागूराम पुत्र बस्ताराम कुमावत
21. राजेश्री पत्नी हस्तीमल टांक
22. बगदाराम पुत्र गोकलराम कुमावत
23. छटकी देवी पत्नी बगदाराम कुमावत
24. [illegible]लाल पुत्र पाबूराम कुमावत
25. [illegible] पुत्र पाबूराम कुमावत
26. कमला देवी पत्नी [illegible] कुमावत
27. रमेश कुमार पुत्र [illegible]राम कुमावत
28. परमाई देवी पत्नी बगदाराम कुमावत
29. इन्द्रादेवी पत्नी चन्द्राराम कुमावत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

30. सेणकी देवी पत्नी घेवरराम कुमावत
31. घेवरराम पुत्र गंगाराम कुमावत
32. नवीन कुमार पुत्र धोकलराम कुमावत
33. भूण्डाराम पुत्र बलदेवराम कुमावत
34. रतनलाल पुत्र बिरदाराम कुमावत
35. दल्लाराम पुत्र गोपूराम मेघवाल
36. दल्लाराम पुत्र गोपूराम मेघवाल
37. पांचू देवी पत्नी अणदाराम मेघवाल
38. धर्माराम पुत्र रमजीराम मेघवाल
39. कालूराम पुत्र कानाराम गुर्जर
40. बिरजूड़ी पत्नी अमराराम गुर्जर
41. अनीता पत्नी हरिश उर्फ हनुमान माली
42. कमला देवी पत्नी सुरेश कुमावत
43. रमेश कुमार पुत्र भीकाराम कुमावत
44. मेन्दुराम पुत्र अमराराम गुर्जर निवासी बलून्दा

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू – :17.05.2018

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार राज।

2.श्री महेन्द्र प्रजापत बलुन्दा, श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 30/05/2022**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा– बलून्दा, खसरा नंबर 1226 कुल रकबा 14–01 बीघा, किस्म– बारानी अव्वल में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी नंबर 01 लगायत 44 ने साथ मिलकर जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र को कृषि के रुप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रकिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर आवासीय प्रयोजनार्थ हेतू प्लॉटिंग कर जमीन को खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक नहीं है। प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के कानूनी प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र से बेदखल किया [illegible] व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं। दावा हाज[illegible] दिनांक 09.05.2018 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी [illegible] द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से आवासीय प्रयोजनार्थ [illegible]टिंग का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177, 92क, आर.टी एक्ट, 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

र निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन र्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। न्य सिद्वि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस लब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 6/1 से 6/4 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जसे शामिल मिसल किया गया। अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब श करने में असफल रहने पर जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 व 7 से 44 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर कथन किया कि मौजा बलुन्दा में खसरा नम्बर 1226 कुल रकबा 14-01 बीघा में प्रतिवादीगण बतौर खातेदार व सामलाती कब्जे काश्तकार है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी जरिए पंजीबद्ध दस्तावेज के खरीद की है तथा पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार जैतारण के समक्ष जो रिपोर्ट दिनांक 08.05.2018 को पेश की है जो गलत है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राज.काश्त. अधि. के तहत पेश किया गया है जो म्याद बाहर है। इसलिए वादी का वाद खारिज फरमावे। प्रतिवादीगण अपनी खरीद सुदा भूमि के कुछ भू भाग में अपना रहवासी मकान तथा मवेशियो के रहने हेतू इमारत व बाड़े बना रखे है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा खरीद सुदा भूमि में से कुछ भाग को आवासीय प्रयोजनार्थ करवाने हेतू कार्यवाही पेश कर रखी है। प्रतिवादीगण सभी काश्तकार तथा खेतीहर मजदूर है जो वादग्रस्त भूमि को कृषि प्रयोजनाथ में ही काम में लेते है। प्रतिवादीगण ने अपने मकानो में जल व बिजली के कनेक्शन ले रखे है जिनकी प्रतियां जवाब वादपत्र के साथ पेश है। प्रतिवादीगण की उक्त कृषि भूमि में बने हुए मकानात के अलावा रहने के लिए अन्य कोई भूमि व मकान नही है। इसलिए प्रतिवादीगण को अपनी कृषि भूमि से बेदखल नही किया जावे। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1226 रकबा 14-01 बीघा सामलाती भूमि है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किसी भी न्यायालय से नही हुआ है तथा सभी प्रतिवादीगण का एक ही खाता है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण वाद आदेश 22 नियम 9 सीपीसी के अनुसार स्वतः ही अबेट हो चुका है। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई बिनाय उत्पन्न नही होता है मात्र वादपत्र प्रस्तुत करने की गरज से झूठी बिनाय वाद की तारीख अंकित की है। वादी ने न्यायालय से तथ्यो को छुपाकर यह वादपत्र पेश किया है ऐसी स्थिति में यह वादपत्र विधिअनुसार पोषणीय नही होने से खारिज किया जावे। जवाब वादपत्र में वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजात् से वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नही होने से वादी का वादपत्र सव्यय खारिज फरमावे। प्रतिवादी संख्या 6 ओमप्रकाश पुत्र भेराराम लखारा निवासी बलून्दा के विरूद्ध वादी द्वारा दावा पेश किया गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 6 दावा पेश करने के पूर्व ही फौत हो चुका है ऐसी स्थिति में यह वाद मृत पक्षकार के विरूद्ध पेश किया गया है जो विधि अनुसार यह वाद पोषणीय नही होने से मय खर्चा खारिज किया जावे। बहस श्री सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण व अधिवक्ता अप्रार्थीगण की सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:37 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का (ग)नता से अवलोकन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन निम्नानुसार है–

तहसीलदार जैतारण ने दावा बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी (अ)धिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त खातेदारी आराजी (मु)रहद मौजा बलुन्दा खसरा नंबर 1226 कुल रकबा 14–01 बीघा, जिसकी किस्म–(बा)रानी अव्वल है, अर्थात कृषि योग्य भूमि है का प्रतिवादीगण द्वारा बिना विधिक (प्र)क्रिया का अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए भूमि की (कि)स्म परिवर्तित कर मौके पर प्लॉटिंग आदि करके आवासीय प्रयोजनार्थ काम में लिया (जा) रहा है। जिस से कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई है। उक्त कृत्य की (ज)ानकारी दिनांक 15.06.2015 को प्राप्त हुई, अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र (प्र)स्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल किया जावे।

2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तथा 7 से 44 ने जवाबदावा पेश कर निवेदन किया है के मौजा बलून्दा में खसरा संख्या 1226 कुल रकबा 14–01 बीघा में प्रतिवादीगण (ब)तौर खातेदार काश्तकार है तथा उक्त कृषि भूमिं प्रतिवादीगण की खरीदशुदा सामलाती (क)ब्जे काश्त की है। प्रतिवादीगण भूमि के कुछ भू भाग में अपना रहवासी मकान तथा (म)वेशियो के रहने हेतू इमारत व बाडे बना रखे है। प्रतिवादीगण सभी काश्तकार तथा खेतीहर मजदूर है जो वादग्रस्त भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ में ही काम में लेते है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा खरीद शुदा भूमि में से कुछ भाग को आवासीय प्रयोजनार्थ करवाने हेतू कार्यवाही पेश कर रखी है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग नही किया गया है। वादग्रस्त भूमि सामलाती भूमि है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किसी भी न्यायालय से नही हुआ है तथा सभी प्रतिवादीगण का एक ही खाता है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण वाद आदेश 22 नियम 9 सीपीसी के अनुसार स्वतः ही अबेट हो चूका है। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई बिनाय उत्पन्न नही होता है। अतः वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई इंस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नही होने से वादी का वादपत्र सव्यय खारिज फरमावें।

3. तहसीलदार जैतारण द्वारा तैयार फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.2018 जो पत्रावली के साथ पेश की गई, के अनुसार खसरा संख्या 1226 रकबा 14–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल में बिना विधिक स्वीकृति या संपरिवर्तन के कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी बनाकर अकृषि उपयोग में ले ली गई है तथा आवासीय कॉलोनी में सड़के, मकान इत्यादि बनाकर बिजली व पानी के कनेक्शन लेकर रहवासी कॉलोनी बना ली गई है।

4. प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण के बिजली– पानी के बिल एवं रामनगर नाम से आवासीय कॉलोनी का ले आउट प्लान जिसमें खसरा संख्या 1226 रकबा 14–01 बीघा ग्राम बलुन्दा [illegible] जैतारण अंकित है, से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का मौके [illegible] के मकान, बाड़े, सड़के, बिजली पानी आदि कनेक्शन लेकर एवं [illegible] ले आउट प्लान में भूमि पर प्लॉटिंग करते हुए प्लॉट संख्या, प्लॉट का माप अ[illegible] दर्शित किया है, जिससे यह साबित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी जो कि भू अभिलेख अनुसार कृषि भूमि है तथा इसके संपरिवर्तन बाबत् कोई दस्तावेजात् प्रस्तुत नही किए है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ृषि आवासीय प्रयोजनार्थ काम में ले लिया गया है। प्रकरण वर्ष 2018 से ाराधीन है, प्रतिवादीगण को अनेकानेक एवं पर्याप्त अवसर दिए गए इसके बावजूद ्रवादीगण द्वारा उक्त आराजी के संपरिवर्तन बाबत् कोई कार्यवाही नही की है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में निम्नानुसार विधिक ्रावधान है :-

77. **अहितकर कार्य या शर्त भंग के लिए बेदखली** - (1) भू-धारक के आवेदन पर ्रभिधारी अपनी जोत से बेदखली का दायी होगा :-

क) ऐसे किसी कार्य या लोप के आधार पर जो उस जोत में की भूमि के लिए ्रहितकर हो या जिस प्रयोजन के लिए भूमि पट्टे के पर दी गई हो, उससे असंगत ो, या

ख) इस आधार पर कि उसने या उससे धारण करनें वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त ंग की है जिसके भंग करने पर वह विशेष संविदा, जो इस अधिनियम के उपबंधो े प्रतिकूल नहीं है, के अनुसार बेदखली का दायी हो:

रन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वृक्षारोपण करना या सुधार करना इस ारा के अधीन बेदखली का आधार नहीं होगा।

9. इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन एवं वादग्रस्त आराजी से संबंधित मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.2018 एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत बिजली पानी के बिल तथा वादग्रस्त आराजी का रामनगर आवासीय कॉलोनी के नाम से जारी ले आउट प्लान के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बलून्दा के खसरा संख्या 1226 रकबा 14-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल जो कि कृषि भूमि है के खातेदारान् प्रतिवादीगण द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ प्लॉटिंग करके पक्के आवासीय मकान एवं सड़के आदि निर्मित कर तथा बिजली पानी कनेक्शन लेकर अप्राधिकृत रुप से कृषि भूमि का अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया जो वर्तमान में भी जारी है, जिसके लिए उक्त खातेदारान् द्वारा किसी भी सक्षम अधिकारी से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन अनुज्ञा प्राप्त नही की है, तथा न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। उक्त खातेदारान् का उपर्युक्त प्रत्यय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177(1) के अन्तर्गत कृषि भूमि के लिए अहितकर कार्य की श्रेणी में आने के साथ साथ काश्तकार और सरकार के मध्य की संविदा का भी भंग है। अतः उक्त खातेदारान् के वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि में से अभिधृति अधिकार विलोपित करते हुए भूमि सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर मौके से बेदखल किया जाकर तत्काल कब्जा राज लिया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- बलून्दा, तहसील- जैत[illegible]सरा नम्बर 1226, रकबा 14-01 बीघा, किस्म- बारानी अव्व[illegible]भूमि जो वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.2018 [illegible] से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता [illegible]कार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को भौतिक रुप से बेदखल किया जाकर कब्जा राज प्राप्त किया जावे। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न मौका रिपार्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

क 08.05.2018 में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में
म करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा।
लदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर
ा से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

य आज दिनांक 30/05/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:37 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

[illegible]न अदालतः–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

[illegible]जलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. दिनेश कुमार पुत्र पूनमचन्द माली
2. पुखाराम पुत्र चन्द्राराम माली
3. रूकमा पत्नी चेनाराम माली
4. गोलकी पत्नी बाबूलाल माली
5. नोरतमल पुत्र मांगीलाल माली
6. ओमप्रकाश पुत्र भेराराम लखारा फौत के का.मु.
   - 6.1 अशोक पुत्र ओमप्रकाश
   - 6.2 हरीश पुत्र ओमप्रकाश
   - 6.3 दीपिका पुत्री ओमप्रकाश
   - 6.4 कौशल्या पत्नी ओमप्रकाश लखारा
7. धर्माराम पुत्र ढगलाराम नट
8. परमादेवी पत्नी बगदाराम कुमावत
9. छोटूलाल पुत्र मिश्रीलाल माली
10. नौरती देवी पत्नी बुद्धाराम कुमावत
11. भीजाराम पुत्र अजीतराम कुमावत
12. ओगडराम पुत्र बालूराम गुर्जर
13. बगदूदेवी पत्नी नवीनकुमार कुमावत
14. मानकी पत्नी श्यामलाल गुर्जर
15. दरिया देवी पत्नी मेन्दूराम गुर्जर
16. भाकरराम पुत्र देवाराम माली
17. दुर्गाराम पुत्र मंगाराम माली
18. उगमादेवी पत्नी दिनेश कुमार माली
19. गीता देवी पत्नी भागूराम कुमावत
20. भागूराम पुत्र बस्ताराम कुमावत
21. राजेश्री पत्नी हस्तीमल टांक
22. बगदाराम पुत्र गोकलराम कुमावत
23. छटकी देवी पत्नी बगदाराम कुमावत
24. मोहनलाल पुत्र पाबूराम कुमावत
25. पुखाराम पुत्र पाबूराम कुमावत
26. [illegible] देवी पत्नी सुरेश कुमावत
27. [illegible] पुत्र भीकाराम कुमावत
28. प[illegible]माई देवी पत्नी बगदाराम कुमावत
29. इन्द्रादेवी पत्नी चन्द्राराम कुमावत
30. सेणकी देवी पत्नी घेवरराम कुमावत
31. घेवरराम पुत्र गंगाराम कुमावत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

32. नवीन कुमार पुत्र धोकलराम कुमावत
33. भूण्डाराम पुत्र बलदेवराम कुमावत
34. रतनलाल पुत्र बिरदाराम कुमावत
35. दल्लाराम पुत्र गोपूराम मेघवाल
36. दल्लाराम पुत्र गोपूराम मेघवाल
37. पांचू देवी पत्नी अणदाराम मेघवाल
38. धर्माराम पुत्र रमजीराम मेघवाल
39. कालूराम पुत्र कानाराम गुर्जर
40. बिरजूड़ी पत्नी अमराराम गुर्जर
41. अनीता पत्नी हरिश उर्फ हनुमा माली
42. कमला देवी पत्नी सुरेश कुमावत
43. रमेश कुमार पुत्र भीकाराम कुमावत
44. मेन्दुराम पुत्र अमराराम गुर्जर निवासी बलून्दा

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् **बेदखली अन्तर्गत धारा, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** — मु0न0 :-119/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, श्री श्यामलाल तंवर अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- बलून्दा, तहसील- जैतारण, खसरा नम्बर 1226, रकबा 14-01 बीघा, किस्म- बारानी अव्वल में से खातेदारान् की सम्पूर्ण भूमि जो वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.2018 में अंकित है, से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर कब्जा राज प्राप्त किया जावे। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.2018 में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30/05/2022 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं, पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण, जिला पाली
(जिला-पाली)

मोहर

(मु)द्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
(स्टा)म्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	10	00
(स्टा)म्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
(स्टा)म्प वजह सबूत			महनताना वकील	01	00
(म)हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
(ख)र्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
(फ)ीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
(बा)बत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	Nil		मिजानः–	11	00

(न)ोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए (दि)लाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:37 IST
Reason: SelfAttested